

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-07-01/2022

1497

पटना, दिनांक 20/3/23

प्रेषक,

संजय दूबे भा0प्र0से0

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु- उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105- रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनरीक्षित प्रावधानित कुल राशि ₹ 303000.00 लाख रु0 (तीन हजार तीस करोड़) रु0 के विरुद्ध राशि ₹ 2500.00 लाख रु0 (पच्चीस करोड़) रु0 मात्र की राशि ब्राडा के पी0एल0 खाते में संधारण हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-303 दिनांक-30.03.22 एवं 885 दिनांक-29.12.22 के आलोक में मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु -उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनरीक्षित प्रावधान कुल राशि ₹ 303000.00 लाख रु0 (तीन हजार तीस करोड़) रु0 के विरुद्ध सम्प्रति निकासी की अधिसीमा ₹ 303000.00 लाख रु0 एवं अवशेष राशि ₹ 2709.54846 लाख रु0 के अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 (Ledger ID- 7069) अन्तर्गत पथों में कराये गये कार्य के भुगतान के निमित्त राशि ₹ 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़) रु0 मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37- 3054041050001 है।

2- वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account-PLA239) के निर्धारित लेजर में संधारित करेंगे।

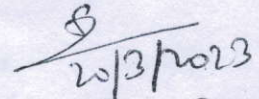
3- उक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी के द्वारा महालेखाकार को भेजते हुए ग्रामीण कार्य विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

4- यह स्वीकृतादेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-253/वि0 (2) दिनांक- 11.03.2014 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।

5- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

6- इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री से संचिका संख्या-13/अ0प्र0-07-01/2022 के पृ0- 24 /टि0 पर दिनांक- 17.3.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

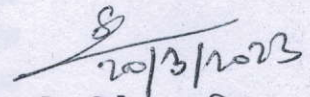

20/3/2023

सरकार के विशेष सचिव

/पटना, दिनांक 20/3/23

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-07-01/2022 1497

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

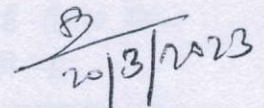

20/3/2023

सरकार के विशेष सचिव

/पटना, दिनांक 20/3/23

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-07-01/2022 1497

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संयुक्त सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ सचिव, ब्राडा-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रा0का0वि0/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0/ वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

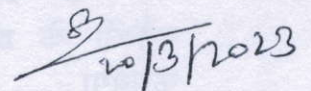

20/3/2023

सरकार के विशेष सचिव

/पटना, दिनांक 20/3/23

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-07-01/2022 1497

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।


20/3/2023

सरकार के विशेष सचिव